उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
द्वितीय तल, A & Dब्लाक, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
(उ0प्र0)
टेलीफोन : 91–522–2723921 टोल फ्री : 18001805412
ई–मेलः upbocboardlko@gmail.com

::अधिसूचना::

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 596/36–2–2020–03(जी)/2020 दिनांक 23.03.2020 द्वारा **''आपदा राहत सहायता योजना''** संचालित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रदान की गयी है। प्राप्त अनापत्ति के अनुक्रम में योजना निम्नवत हैं:–

1. **योजना का नाम :–'' आपदा राहत सहायता योजना ''**

2. **उद्देश्य** :–उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आपदा की स्थिति में जबकि निर्माण श्रमिकों की जीविका एवं उनके भरण पोषण का संकट उत्पन्न होने की संभावना होती है, ऐसी स्थिति में दैनिक मजदूरी करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भरण पोषण करने हेतु आपदा काल में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिससे उनके समक्ष परिवार के भरण पोषण का संकट उत्पन्न न हो एवं उन्हे भुखमरी की स्थिति का सामना न करना पड़े।

   आपदा का तात्पर्य राज्य के किसी भाग में प्रकृति या अन्यथा घटित होने वाली ऐसी वास्तविक या आसन्न घटना, संकट, आपदा, घोर विपत्ति, अनर्थ, दुर्भाग्य, अभाग्य या विनाश से है, जिससे निम्नलिखित कारित होता हो या कारित होने की आशंका हो –

   i. स्थावर और जंगम दोनों सम्पत्ति की व्यापक क्षति या नुकसान ; या
   ii. मानव जीवन की व्यापक हानि या मानवों की क्षति या बीमारी ; या
   iii. पर्यावरण की क्षति या उसका ह्रास और कोई ऐसा प्रभाव जो अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करते हुए सामना करना प्रभावित जन समुदाय की जनता से परे हो और जन समुदाय की सामान्य कार्य प्रणाली को विच्छिन्न करता हो।

3. **योजना के अन्तर्गत पात्रता** :–इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिसका अंशदान अद्यतन जमा हो, पात्र होंगे।

4. **देय हितलाभ** :–योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भरण पोषण हेतु एकमुश्त रू0 1000/–(रू0 एक हजार मात्र) की धनराशि वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/त्रैमासिक/मासिक के रूप में, जैसा कि केन्द्र/राज्य सरकार अथवा बोर्ड द्वारा विहित किया जाये, आर्थिक सहायता के रूप में अद्यतनीकृत रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को देय होगी। आर्थिक सहायता की यह धनराशि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खाते में सीधे आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त के माध्यम से सीधे अन्तरित की जायेगी।

5. **आवेदन प्रक्रिया** :–

i. इस योजना के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध अद्यतन नवीनीकृत श्रमिक जिनके बैंक खाते का विवरण बोर्ड के पोर्टल पर उपलब्ध है, के आवेदन (D नम्बर) साफ्टवेयर के माध्यम से अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त द्वारा जनरेट किये जायेंगें।

ii. अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त/जनपदीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी ऐसे पंजीकृत श्रमिकों जिनके बैंक खाते का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है अथवा पूर्व से उपलब्ध विवरण में किसी संशोधन की आवश्यकता है, को श्रमिकों से प्राप्त करते हुए पोर्टल पर अपलोड एवं संशोधित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

iii. बोर्ड द्वारा ऐसे स्वतः जनित आवेदन पत्रों को क्षेत्रीय अपर/उप/जनपदीय सहायक श्रमायुक्तों को पोर्टल के माध्यम से अग्रसारित किया जायेगा एवं जिन जनपदों में जनपदीय सहायक श्रमायुक्त के पद सृजित नहीं है, ऐसे जनपदों के आवेदन संबंधित समस्त अपर/उप श्रमायुक्तों को अग्रसारित किये जायेंगें।

6. **आवेदन स्वीकृत करने की प्रक्रियाः—**

i. बोर्ड द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी सूची को स्वीकर्ता अधिकारी अर्थात क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त पोर्टल पर ही ऑनलाइन स्वीकृत करेंगे तथा पोर्टल पर प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार भुगतान हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

ii. प्रस्तर 6.1 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्वीकर्ता अधिकारी साफ्टवेयर पर इस योजना के अंतर्गत जनित होने वाली रिपोर्टों को डाउनलोड कर उन्हें कार्यालय में अभिलेख हेतु संरक्षित करेंगे एवं इसकी एक प्रति बैंक को धनराशि अंतरण हेतु प्रेषित करेंगे।

iii. स्वीकृर्ता अधिकारी उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त सभी आवदेन पत्रों को 02 दिन के अन्दर परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करेंगें एवं भुगतान की पुष्टि सुनिश्चित करेंगे।

7. **कठिनाइयों का निवारण** :—योजना में आने वाली कठिनाइयों का निवारण सचिव, बोर्ड द्वारा अध्यक्ष, बोर्ड के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

अतएव, उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अधिसूचित एवं प्रवर्तित की जाती है। यह अधिसूचना प्रमुख सचिव, श्रम, उ0प्र0 शासन के अनुमोदन दिनांक 23.03.2020 के क्रम में निर्गत की जा रही है।

23/3/20

(पंकज सिंह राना)
अपर सचिव, बोर्ड

पत्रांक— 4893-4902/भ0नि0बो0(1803)—2020 दिनांक :23/03/2020

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या : बी0—2—67 / 10—2020—एम0—01 / 2020 दिनांक 21.03.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, श्रम / अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
3. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. श्रम अनुभाग—2 को उनके पत्र संख्या 596 / 36—2—2020—03(जी) / 2020 दिनांक 23.03.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
7. समस्त अपर / उप / सहायक श्रमायुक्त व अपर / उप / सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) तथा जनपदीय प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री प्रभात कुमार निगम, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, बोर्ड कार्यालय लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
9. गार्ड फाईल हेतु।

(पंकज सिंह राना)
अपर सचिव, बोर्ड।